न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 33 / 2020

1 जवाहर पुत्र किशनलाल जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 काशीराम पुत्र बंशीधर जाति जीनगर निवासी फुटला बाजार वार्ड नम्बर 18 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 ओमप्रकाश पुत्र बनवारी।
3 दीपचन्द पुत्र बनवारी।
4 गोमती पत्नी बनवारी।
5 सन्त कुमार पुत्र सोहन।
6 द्वारकाप्रसाद पुत्र सोहन।
7 तेजपाल पुत्र द्वारका प्रसाद।
8 नेकीराम पुत्र द्वारकाप्रसाद।
9 जितेन्द्र पुत्र द्वारकाप्रसाद।
10 प्रमेश पुत्र देवकरण।
11 दीपीका पुत्री देवकरण।
12 कुलदीप पुत्र जगदीश प्रसाद।
13 परमानन्द पुत्र अमरचन्द।
14 नरेन्द्र पुत्र अमरचन्द समस्त जाति मेघवाल निवासीगण मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।
15 शाखा मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 शाखा मैनेजर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
17 भूमि अधिकारी तहसीलदार तहसील व जिला झुंझुनू।
18 श्यामलाल पुत्र किशनलाल।
19 रामावतार पुत्र किशनलाल।
20 बीरबल पुत्र अमरचन्द।
21 मुकेश पुत्र देवकरण।
22 दिनेश पुत्र देवकरण समस्त जाति मेघवाल निवासीगण मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील मुतफरीक बखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा नम्बर 34/2020 उनवानी श्यामलाल वगैरह बनाम ओमप्रकाश वगैरह अस्थाई निषेधाज्ञा बखिलाफ आदेश दिनांक 04.09.2020।

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री इलियास खांन, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—02.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2020 में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 85 व 86 वाके ग्राम श्योपुरा के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी में चल रही थी। तलबी पूर्ण किये बिना ही विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि तत्कालीन पानेदार से प्रार्थीगण अपीलांट के पूर्वज भूराराम को माल पर काश्त हेतु दी थी। सहवन से राजस्व रिकार्ड सोहनराम के नाम हो गया। जिसके द्वारा गलत विक्रय कर नामान्तकरण संख्या 27 दिनांक 23.06.1959 विधिक प्रक्रिया के बिना पारित किया गया है। अपीलांट विवादित भूमि पर काबिज काश्तकार है। अपीलांट के हक हकूक दावे में तय होने है। इससे पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में इस पर गौर नही कर विधिक भूल की है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर. टी. 2019(1) पेज 156, आर.आर.टी. 2007(1) पेज 472, आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 611, आर.आर.टी. 2004(2) पेज 771, आर.आर.टी. 2018(2) पेज 1026, आर.एल.डब्ल्यू 2011(1) पेज 79 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि जमीन खसरा नम्बर 85 व 86 ग्राम श्योपुरा सोहनलाल की व्यक्तिगत जमीन थी जो जागीरी रिज्यूम होने से पूर्व की थी। समस्त रिकार्ड उसके पक्ष में थे। भूराराम के हक मे कोई दस्तावेज नही है। सोहनलाल का प्रथम दस्तावेज खसरा गिरदावरी संवत 2009 एवं प्रथम जमाबंदी संवत 2012 जो अहम और आवश्यक दस्तावेजात है। उसी के आधार पर राजस्व रिकार्ड निर्धारित किया जाता है। अपीलांट के पास

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ना तो कब्जा काश्त है ना ही कोई राजस्व रिकार्ड है। तेजपाल, नेकीराम, जितेन्द्र के नाम कोई राजस्व रिकार्ड नही है इसके बावजूद भी अपीलांट ने किस आधार पर पार्टी बनाया है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 38 है जो बेरीसाल सिंह पानेदार था जो खातेदार नही था नामान्तकरण 63 वर्ष पूर्व भरा गया है उसको आज तक भी चुनौती नही दी गई हे। अपीलांट सहखातेदार का कोई भी दस्तावेज सबूत पत्रावली में व न्यायालय के समक्ष पेश करने में असफल रहा है। अपीलांट ने ग्राम पंचायत का आधार नामान्तकरण बाबत लिया है उक्त नामान्तकरण को आज तक किसी भी न्यायालय में चैलेंज नही किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमीन खसरा नम्बर 85 व 86 ग्राम श्योपुरा सोहनलाल की व्यक्तिगत जमीन थी जो जागीरी रिज्यूम होने से पूर्व की थी। समस्त रिकार्ड उसके पक्ष में थे। भूराराम के हक मे कोई दस्तावेज नही है। सोहनलाल का प्रथम दस्तावेज खसरा गिरदावरी संवत 2009 एवं प्रथम जमाबंदी संवत 2012 जो अहम और आवश्यक दस्तावेजात है। उसी के आधार पर राजस्व रिकार्ड निर्धारित किया जाता है। अपीलांट के पास ना तो कब्जा काश्त है ना ही कोई राजस्व रिकार्ड है। तेजपाल, नेकीराम, जितेन्द्र के नाम कोई राजस्व रिकार्ड नही है इसके बावजूद भी अपीलांट ने किस आधार पर पार्टी बनाया है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 38 है जो बेरीसाल सिंह पानेदार था जो खातेदार नही था नामान्तकरण 63 वर्ष पूर्व भरा गया है उसको आज तक भी चुनौती नही दी गई हे। अपीलांट सहखातेदार का कोई भी दस्तावेज सबूत पत्रावली में व न्यायालय के समक्ष पेश करने में असफल रहा है। अपीलांट ने ग्राम पंचायत का आधार नामान्तकरण बाबत लिया है उक्त नामान्तकरण को आज तक किसी भी न्यायालय में चैलेंज नही किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर